

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-जशपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – डमरूधर चौहान)
दाण्डिक कार्य-विभाजन आदेश

कं0-..क्यू../कार्य विभा./मुख्य न्यायि. मजि./2022

जशपुर, दि.-25/08/2022

मैं डमरूधर चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, जिला जशपुर (छ0ग0), दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किये गये पूर्व के समस्त आदेश को निरस्त करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सत्र न्यायाधीश जशपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए जिला जशपुर के पदस्थ अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूं, जो माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर के अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	(डमरूधर चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर (छ0ग0)	<u>आरक्षी केन्द्र थाना सिटी</u> <u>कोतवाली जशपुर,</u> <u>चौकी लोदाम व मनोरा</u>	<p>1. - से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों तथा उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत परिवाद पत्र, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. थाना यातायात एवं आर.टी.ओ. जशपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>3. नगर पालिका जशपुर से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>4. जशपुर तहसील एवं तहसील मनोरा से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5. तहसील क्षेत्र जशपुर, मनोरा के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety</p>

			<p>& standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6. राजस्व जिला जशपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न कॉपी राईट एक्ट 1957 तथा ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>7. राजस्व जिला जशपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले खारिजी के मामलों का निराकरण करना।</p> <p>8. जशपुर तहसील से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>9. स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।</p> <p>11. ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य विवरण आदेश में न हो, का निराकरण करना।</p>
.2	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा, फरसाबहार, दुलदुला, तुमला, चौकी करडेगा	1. – से उत्पन्न होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों/ परिवाद प्रकरणों, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के परिवाद का, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition

			<p>of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2.</p> <p>स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>3.</p> <p>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>4.</p> <p>आबकारी वृत्त कुनकुरी से उत्पन्न छ. ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>5.</p> <p>धारा 169 एवं 173 द्र.पं.सं. के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे।</p> <p>6.</p> <p>तहसील क्षेत्र कुनकुरी, फरसाबहार, दुलदुला, के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कार्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>7.</p> <p>नगर पंचायत कुनकुरी से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, एवं उप मण्डल कुनकुरी एवं वन परिक्षेत्र कुनकुरी, दुलदुला, तपकरा, फरसाबहार, नारायणपुर से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>8.</p> <p>माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र</p>
--	--	--	---

			न्यायाधीश, जशपुर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुनकुरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
.3	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र आस्ता, चौकी सोनक्यारी, आरा	<p>1. – से उत्पन्न होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों/परिवाद प्रकरणों का तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के अनुक्रमांक 6329/III-6-5/16(JJC-59) बिलासपुर दिनांक 17.05.2022 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) के रूप में प्रत्येक बुधवार को बैठक कर कार्य का निष्पादन करना।</p> <p>3. स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>5. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>6. आबकारी वृत्त आस्ता, सोनक्यारी, आरा से उत्पन्न छ.ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>7. धारा 169 एवं 173 द्रपसं के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किये जायेंगे।</p>

			<p>8. वन परिक्षेत्र आस्ता, सोनक्यारी एवं आरा से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ. टी.सी. जशपुर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जशपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
.4	(उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र पत्थलगांव, बागबहार चौकी कोतबा	<p>1. – से उत्पन्न होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों/परिवाद प्रकरणों, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के परिवाद का, Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>4. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>5. आबकारी वृत्त पत्थलगांव से उत्पन्न छ.ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6. धारा 169 एवं 173 द्रपसं के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते</p>

			<p>हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे।</p> <p>7. नगर पंचायत पत्थलगांव, कोतबा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा वन परिक्षेत्र पत्थलगांव, बागबहार से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>8. तहसील क्षेत्र जशपुर, मनोरा के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
.5	(श्री सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र बगीचा, सन्ना, कांसाबेल, चौकी पण्ड्रापाठ, सुलेसा, दौकड़ा,	<p>1. – से उत्पन्न होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों/परिवाद प्रकरणों, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के परिवाद का, Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>2. स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।</p>

			<p>4. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>5. आबकारी वृत्त बगीचा से उत्पन्न छ.ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>6. धारा 169 एवं 173 दफ़्तरों के अधीन खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे।</p> <p>7. नगर पंचायत बगीचा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, एवं वन विभाग बगीचा, कांसाबेल, सन्ना क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>8. तहसील क्षेत्र जशपुर, मनोरा के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कार्स्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>9. माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ. टी.सी. जशपुर एवं माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जशपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
--	--	--	--

- नोट :-** (1) यदि जशपुर मुख्यालय में पदस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है, और उसके स्थान पर तत्काल किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के थाना/चौकी क्षेत्र से उद्भूत नवीन दाण्डिक कार्य आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।
- (2) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, अनुपस्थित रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-“ए” (चक्रीय क्रमानुसार) के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।
- (3) दाण्डिक कार्य वितरण आदेश में किसी तात्विक उल्लेख के अभाव में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।

स्थान – जशपुर
दिनांक – 12/09/2022

–सही–
(**डमरूधर चौहान**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

परिशिष्ट – (ए)

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण द्वारा संपादित किया जावेगा :-

क्रमांक	अवकाश में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.	अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.	स्तम्भ क्रमांक-1 एवं 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने से अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.
	स्तंभ क्रमांक 1	स्तंभ क्रमांक 2	स्तंभ क्रमांक 3
1	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)
2	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)
3	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)
4	(श्री सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर(छ.ग.)
5	(श्री उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर(छ0ग0)

- टीप :- (1) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहने वाले मजिस्ट्रेटको अवकाश की सूचना देंगे।
- (2) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किए जा सकने योग्य प्रकरण प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।
- (3) परिशिष्ट (ए) में दिये गये क्रमांक निरन्तरता में पढे जावे। जैसे सीरियल क्रमांक (1) में स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने की दशा में कार्य व्यवस्था सीरियल क्रमांक (2) के स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) जैसी भी स्थिति हो, के न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य को देखने की अधिकारिता एवं दायित्व रखेंगे।
- (4) परिशिष्ट (ए)के अन्तर्गत यदि स्तंभ क्रमांक (1) के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, एवं उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य देखने वाले क्रमशः स्तंभ (2) एवं (3) के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अवकाश में रहते हैं, और जब अत्यावश्यक कार्य देखने वाले मजिस्ट्रेट के संबंध में शंकास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर

मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य का सम्पादन किया जावेगा।

—सही—

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

न्यायालय :- डमरूधर चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर जिला-जशपुर (छ0ग0)

अनुसूची "ब"

(धारा 164 के तहत संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम एवं थाना क्षेत्र)

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	थाना क्षेत्र
1	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र आस्ता, चौकी आरा, सोनक्यारी के द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
2	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली जशपुर, सन्ना, दुलदुला, चौकी मनोरा, लोदाम, करडेगा, के द्वारा प्रस्तुत (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें विधि से संघर्षरत् किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड जशपुर से संबंधित है) धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
3	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र बगीचा, चौकी पण्ड्रापाठ, सुलेसा, आरक्षी केन्द्र पत्थलगांव, बागबहार, चौकी कोतबा द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
4	(सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा, द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
5	(उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र तुमला, फरसाबहार, कांसाबेल, चौकी दोकड़ा द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।

टीप :-

(01) विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन पेश किये जाने पर 01. आरक्षी केन्द्र पत्थलगांव, बागबहार, तुमला, कोतबा, से संबंधित होने पर **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा, 02. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली जशपुर, आस्ता, मनोरा, लोदाम, आरा, सोनक्यारी से संबंधित होने पर **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर**, के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा, 03. आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, तपकरा, दुलदुला, नारायणपुर, फरसाबहार, चौकी करडेगा से संबंधित होने पर **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट कुनकुरी के द्वारा अभिलिखित किया जावेगा, 04. आरक्षी केन्द्र बगीचा, सन्ना, कांसाबेल, चौकी दोकड़ा, पण्ड्रापाठ, सुलेसा, से संबंधित होने पर **श्री सचिन पॉल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा।

(02) **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के अवकाश अवधि में **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट कुनकुरी के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के अवकाश अवधि में **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा एवं **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के अवकाश अवधि में **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किया जावेगा।

(03) **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर एवं **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर के अवकाश अवधि में **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के द्वारा आरक्षी केन्द्र जशपुर, आस्ता, चौकी मनोरा, सोनक्यारी, लोदाम, आरा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे एवं **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर एवं **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर व **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा आरक्षी केन्द्र जशपुर, आस्ता, चौकी मनोरा, सोनक्यारी, लोदाम, आरा, पत्थलगांव, कोतबा, बागबहार, करडेगा, दुलदुला, नारायणपुर, तपकरा, फरसाबहार, तुमला से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के अवकाश अवधि में **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर के द्वारा आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें विधि से संघर्षरत् किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड जशपुर से संबंधित है)। **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा आरक्षी केन्द्र तुमला, फरसाबहार से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे एवं **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के द्वारा आरक्षी केन्द्र कांसाबेल, दोकड़ा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे। (04) धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर यथाशीघ्र विधिवत द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

—सही—

(**डमरूधर चौहान**)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

पृष्ठांकन कं.क्यू./मु.न्या.मजि./2021

जशपुर दिनांक—12.09.2023

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
06. कलेक्टर जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
07. श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. श्री सचिन पॉल टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. श्री उमेश कुमार भागवतकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. श्री अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक जशपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला अभियोजन अधिकारी जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
13. अधिवक्ता संघ जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
14. प्रस्तुतकार, माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

—सही—

(**डमरूधर चौहान**)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

परिशिष्ट – (बी)

(धारा 164 के तहत संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेटगण का नाम एवं थाना क्षेत्र)

1	2	3	4	5	6
क्रं 0	थाना / चौकी का नाम	संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम नम्बर-3 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम नम्बर-5 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम नम्बर-6 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम
1	थाना आस्ता, चौकी आरा, सोनक्यारी, सन्ना, बगीचा, कांसाबेल, पण्ड्रापाठ, सुलेसा	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर(छ.ग.)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्री सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा (छ0ग0) सन्ना, बगीचा, कांसाबेल, पण्ड्रापाठ, सुलेसा को छोड़कर	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर(छ0ग0) थाना आस्ता, चौकी आरा, सोनक्यारी एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर
2	सिटी कोतवाली जशपुर, चौकी मनोरा, चौकी लोदाम	(श्री अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)			
3	बगीचा, पत्थलगांव, कोतबा,	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)			
4	कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा, बागबहार,	(श्री सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा (छ0ग0)			
5	तुमला, फरसाबहार, कांसाबेल, दोकड़ा	(श्री उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)			

- टीप :- (1) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।
- (2) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किए जा सकने योग्य

प्रकरण प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।

- (3) परिशिष्ट (ए) में दिये गये क्रमांक निरन्तरता में पढे जावे। जैस सीरियल क्रमांक (1) में स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने की दशा में कार्य व्यवस्था सीरियल क्रमांक (2) के स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) जैसी भी स्थिति हो, के न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य को देखने की अधिकारिता एवं दायित्व रखेंगे।
- (4) परिशिष्ट (ए)के अन्तर्गत यदि स्तंभ क्रमांक (1) के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते है, एवं उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य देखने वाले क्रमशः स्तंभ (2) एवं (3) के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अवकाश में रहते है, और जब अत्यावश्यक कार्य देखने वाले मजिस्ट्रेट के संबंध में शंकास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य का सम्पादन किया जावेगा।

—सही—

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जशपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्रं.क्यू./मु.न्या.मजि./2021

जशपुर दिनांक—12.09.2023

प्रतिलिपि:—

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
06. कलेक्टर जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
07. श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. श्री सचिन पॉल टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. श्री उमेश कुमार भागवतकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. श्री अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक जशपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला अभियोजन अधिकारी जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
13. अधिवक्ता संघ जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
14. प्रस्तुतकार, माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

—सही—

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जशपुर छ0ग0

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर जिला-जशपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – डमरूधर चौहान)

अनुसूची "अ"

(धारा 164 के तहत संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम एवं थाना क्षेत्र)

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	थाना क्षेत्र
1	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र आस्ता, चौकी आरा, सोनक्यारी के द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
2	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली जशपुर, सन्ना, दुलदुला, चौकी मनोरा, लोदाम, करडेगा, के द्वारा प्रस्तुत (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें विधि से संघर्षरत् किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड जशपुर से संबंधित है) धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
3	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र बगीचा, चौकी पण्ड्रापाठ, सुलेसा, आरक्षी केन्द्र पथलगांव, बागबहार, चौकी कोतबा द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
4	(सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा, द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।
5	(उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र तुमला, फरसाबहार, कांसाबेल, चौकी दोकड़ा द्वारा प्रस्तुत धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन अभिलिखित किया जावेगा।

टीप :-

(01) विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन पेश किये जाने पर 01. आरक्षी केन्द्र पथलगांव, बागबहार, तुमला, कोतबा, से संबंधित होने पर **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा, 02. आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली जशपुर, आस्ता, मनोरा, लोदाम, आरा, सोनक्यारी से संबंधित होने पर **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर**, के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा, 03. आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, तपकरा, दुलदुला, नारायणपुर, फरसाबहार, चौकी करडेगा से संबंधित होने पर **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट कुनकुरी के द्वारा अभिलिखित किया जावेगा, 04. आरक्षी केन्द्र बगीचा, सन्ना, कांसाबेल, चौकी दोकड़ा, पण्ड्रापाठ, सुलेसा, से संबंधित होने पर **श्री सचिन पॉल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा के द्वारा कथन अभिलिखित किया जावेगा।

(02) **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के अवकाश अवधि में **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट कुनकुरी के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के अवकाश अवधि में **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा एवं **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव के अवकाश अवधि में **डमरूधर**

चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के द्वारा विधि से संघर्षरत् किशोर से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 का संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किया जावेगा।

(03) **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर एवं **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर के अवकाश अवधि में **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के द्वारा आरक्षी केन्द्र जशपुर, आस्ता, चौकी मनोरा, सोनक्यारी, लोदाम, आरा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे एवं **डमरूधर चौहान**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर एवं **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर व **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा आरक्षी केन्द्र जशपुर, आस्ता, चौकी मनोरा, सोनक्यारी, लोदाम, आरा, पत्थलगांव, कोतबा, बागबहार, करडेगा, दुलदुला, नारायणपुर, तपकरा, फरसाबहार, तुमला से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, **श्री सचिनपाल टोप्पो**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के अवकाश अवधि में **श्री अनिल कुमार चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर के द्वारा आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तपकरा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे, (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें विधि से संघर्षरत् किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड जशपुर से संबंधित है)। **श्री उमेश कुमार भागवतकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव के अवकाश अवधि में **श्री सचिनपाल टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बगीचा के द्वारा आरक्षी केन्द्र तुमला, फरसाबहार से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे एवं **श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी के द्वारा आरक्षी केन्द्र कांसाबेल, दोकड़ा से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध करेंगे। **(04)** धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर यथाशीघ्र विधिवत द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

—सही—

(**डमरूधर चौहान**)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जशपुर छ0ग0

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर जिला-जशपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी – डमरूधर चौहान)

अनुसूची "ब"

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण द्वारा संपादित किया जावेगा :-

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम
1	2	3	4
1	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)
2	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)
4	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)
5	(सचिन पॉल टोप्पो) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)
6	(उमेश कुमार भागवतकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)	(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0)

टिप्पणी :-

(01) उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण के दशा में अन्य प्रभार लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य आदेश पर्यन्त उपरोक्तानुसार ही कार्य करेंगे।

(02) उपरोक्त अनुसूची "ब" के अनुसार संपादित करने वाले प्रथम एवं द्वितीय प्रभार दोनों के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेंगे तथा उनके अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य संपादित करेंगे।

(03) अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को, अवकाश की सूचना देगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किये जाने से पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से सूचित करेंगे।

-सही-

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
06. कलेक्टर जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
07. श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
08. श्री सचिन पॉल टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. श्री उमेश कुमार भागवतकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. श्री अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक जशपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला अभियोजन अधिकारी जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
13. अधिवक्ता संघ जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
14. प्रस्तुतकार, माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
15. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

—सही—

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जशपुर छ0ग0

न्यायालय :-डमरूधर चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-जशपुर (छ0ग0)

//विधि आदेश//

क्रमांक / क्यू / मु.न्या.मजि. / 2023

जशपुर दिनांक 07-09-2023

बाह्य न्यायालय कुनकुरी एवं बगीचा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव एवं श्री सचिन पॉल टोप्पो का स्थानांतरण होने से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के दंडिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक क्यू/कार्य विभा./मु0न्या0मजि0/2022 जशपुर दिनांक 12-09-2022 में आगामी आदेश तक निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधन किया जाता है, जो माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर के अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्रमांक	विवरण	विवरण
1	आदेश की कंडिका क्रं. 02 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-	अनुक्रमांक 02 में उल्लेखित श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्या.मजि.प्र. श्रेणी कुनकुरी के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उसके नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर पदस्थ श्री असलम खान, न्या. मजि.प्र.श्रेणी कुनकुरी का नाम संशोधित कर जोड़ा जाता है।
2	आदेश की कंडिका क्रं. 05 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-	अनुक्रमांक 02 में उल्लेखित श्री सचिन पॉल टोप्पो, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बगीचा के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप उसके नाम को विलोपित कर उसके स्थान पर पदस्थ श्रीमती कामिनी वर्मा, न्या. मजि.प्र.श्रेणी बगीचा का नाम संशोधित कर जोड़ा जाता है।

क्रमांक	विवरण
1	आदेश के कंडिका क्रमांक 2 के स्तम्भ- 2 में "श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव" विलोपित कर "श्री असलम खान" पढ़ा जावें।
2	आदेश के कंडिका क्रमांक 5 के स्तम्भ- 2 में "श्री सचिन पॉल टोप्पो" विलोपित कर "श्रीमती कामिनी वर्मा" पढ़ा जावें।

परिशिष्ट "ए" में संशोधन आदेश

क्रमांक	विवरण
1	परिशिष्ट (ए) के क्रमांक 3 के स्तम्भ- 1 में "श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी" के स्थान पर "श्री असलम खान" मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी" पढ़ा जावे।
2	परिशिष्ट (ए) के क्रमांक 4 के स्तम्भ- 1 में "श्री सचिन पॉल टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा" के स्थान पर "श्रीमती कामिनी वर्मा" मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा" पढ़ा जावे।

अनुसूची "ब" में संशोधन आदेश

क्रमांक	विवरण
1	अनुसूची "ब" के क्रमांक 3 के स्तम्भ- 2 में "श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव" के स्थान पर "श्री असलम खान" पढ़ा जावे।
2	अनुसूची "ब" के क्रमांक 4 के स्तम्भ- 2 में "श्री सचिन पाल टोप्पो" के स्थान पर "श्रीमती कामिनी वर्मा" पढ़ा जावे।

7	परिशिष्ट "ए" के क्रमांक 3 एवं 4 में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे		
क्र	अवकाश में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम	अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम	स्तम्भ क्रमांक 1 एवं 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने से अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम
1	2	3	4
3	(श्री असलख खान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी (छ0ग0)	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)
4	(श्रीमती कामिनी वर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा (छ0ग0)	(अनिल कुमार चौहान) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर (छ0ग0)	(डमरूधर चौहान) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर (छ0ग0)

टीप :- आरक्षी केन्द्र प्रभारी के द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के नवीन संशोधन के अनुसार एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 52(ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही हेतु न्यायालय में पेश करने से एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 52(ए) के तहत पंचनामा तैयार करेंगे।

—सही—
(डमरूधर चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू./मु.न्या.मजि./2023

जशपुर दिनांक 07-09-2023

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर एवं अतिरिक्त प्रभार अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. माननीय अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश पत्थलगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. श्री असलम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी को पालनार्थ प्रेषित।
06. श्री अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर को पालनार्थ प्रेषित।
07. श्रीमती कामिनी वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा को पालनार्थ प्रेषित।

08. श्री उमेश कुमार भागवतकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव को पालनार्थ प्रेषित ।
09. पुलिस अधीक्षक जशपुर को संबंधित थाना क्षेत्र संसूचित करने व पालनार्थ प्रेषित ।
10. अधिवक्ता संघ जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित ।
11. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित ।
12. जिला अभियोजन अधिकारी जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
13. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित ।
14. कम्प्यूटर शाखा जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

—सही—

(डमरूधर चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर छ0ग0